न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02 / 2021 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2021 / 00138

उनवान

1. हरभेजी पुत्री स्व0 बंशी पत्नी भगवतीप्रसाद जाति लोधा निवासी ग्राम तगावली हाल आबाद ग्राम सिंघावली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मंगल सिंह
2. लाखन सिंह
3. विजय सिंह

पुत्रगण दीवान सिंह जातिगण लोधा निवासी ग्राम तगावली तहसील व जिला धौलपुर।

4. राजेश्वरी पत्नी दाऊदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी उम्मेदी नगर महाकाली रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
5. पूजा शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 12 ब्लॉक राजाखेडा हॉस्पीटल कोलोनी राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 23.03.2021 उनवानी हरभेजी बनाम मंगल सिंह मु0 न0 12 / 2021

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

निर्णय दिनांक :– 06.10.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 23.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार होली पुत्र भवनिया जाति लोधा थे। होली के मरणोपरान्त वादग्रस्त आराजी छिद्दू पुत्र होली पर प्रकान्त हुयी तथा छिद्दू के निधन के बाद छिद्दू का पुत्र बंशी था। बंशी वादी/अपीलाण्ट का पिता था तथा छिद्दू दादा था। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 वादी/अपीलाण्ट के भाई दीवान सिंह के पुत्रगण हैं। विवादित आराजी वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी आराजी है। परन्तु वादी/अपीलाण्ट की बैक पर उनके पिता बंशी पुत्र छिद्दू ने अवैध रूप से 1/3 हिस्सा के बजाय सम्पूर्ण हिस्से की अवैध इन्द्राजात की आड में प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 के हक में वसीयत निष्पादित कर दी एवं उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 ने नामान्तकरण खुलवाते हुये, विवादित आराजी का विक्रय प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 04 व 05 के हक में कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल करने से रोके जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये; उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज यथा मिसिल हकीयत, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, मिसिल बन्दोबस्त आदि प्रस्तुत किये थे। जिससे विवादित आराजी का होली पुत्र भवनिया, छिद्दू पुत्र होली की खातेदारी में अंकित होना तथा संयुक्त हिन्दू सहदायिकी परिवार कृषि भूमि होना साबित था तथा अपीलाण्ट का अधिकार जन्म से ही निहित होना साबित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन विवादित आराजी को बंशी की स्वःअर्जित आराजी अवैध रूप से मानने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने की वजह

उप-खण्ड अधिकारी
धौलपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
धौलपुर कैम्प-करौली

से बंशी पुत्र छिद्दू 1/3 भाग का अधिकारी खातेदार था। परन्तु बंशी ने विधिक प्रावधानो के विपरीत 1/3 भाग के बजाय सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत दिनांक 07.08.2013 को निष्पादित कर दी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि संयुक्त हिन्दू परिवार सहदायिकी पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्रो के समान ही जन्म से पुत्रियों को भी कानूनन अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2020(2) पेज 998 का उद्धरण पेश करते हुये, अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को पैतृक बताते हुए, उसमें अपने 1/3 हिस्सा की घोषणा की प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत निषेधाज्ञा चाही थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल मिसिल हकीयत संवत 1968 के खाता संख्या 56 के अनुसार विवादित साविक खसरा नम्बर 815 पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष होली बल्द भमनिया कौम लोधा का नाम काश्तकार के कालम में दर्ज है। प्रकरण में अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने बाबत् कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट स्वयं को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधानो के तहत, विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा का दावा करती हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2020(2) पेज 998 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि " पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती हैं। 09.09.2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि सहदायिकी सम्पत्ति में अधिकार जन्म से है। अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त सम्पत्ति में समानता के अधिकार से पुत्रियो को वंचित नहीं किया जा सकता और वह 09.09.2005 से अधिकार की मांग कर सकती हैं" चूंकि विवादित आराजीयात नकल मिसिल हकीयत संवत 1968 के खाता संख्या 56 में अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष होली बल्द भमनिया कौम लोधा के नाम दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि विवादित आराजीयात अपीलांट के पूर्व पुरूष होली की काश्त में रही होगी, का अनुमान मात्र कयासो के आधार पर लगाया जाकर प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रकरण में पक्षकारों के अधिकार मूल वाद में, साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना से ही तय हो सकते हैं परन्तु इस स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का दावा विचारणीय है एवं सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट के हक में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.03.2021 खारिज किये जाकर, ताफैसला मूल वाद विवादित आराजीयात 495 वाके ग्राम दूँ का पुरा तहसील व जिला धौलपुर को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की पाबन्दी आयद की

उप-खण्ड अधिकारी,
धौलपुर

जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
कार्य0 भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर